

उत्तर प्रदेश शासन  
पशुधन अनुभाग-3  
संख्या- 04/2018/ 963/37-3-2018-5(30)/2017  
लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2018  
**कार्यालय-ज्ञाप**

तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को ३०प्र० पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम-2001 की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत मथुरा विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**धारा-19(1)(छ) के अन्तर्गत**

- १- श्री जगमोहन गुप्ता, अध्यक्ष रूरल स्किल डेवलपमेंट फाउण्डेशन, निवासी-104, बी०डी०के० हाउस, मथुरा नगर सेन्टर प्लाइंट, अलीगढ़। (मो-9891267870, 9690015081)

**धारा-19(1)(झ) के अन्तर्गत**

- १- श्री सुनील कुमार शर्मा, महासचिव, श्रीमथुरा वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट गौशाला कल्याण धाम, मसानी-दिल्ली मार्ग, सरस्वती कुण्ड, मथुरा। (मो-9412280508)
- २- श्री सुनील सिंह, सचिव, माताजी गौशाला, बरसाना मान मंदिर सेवा संस्थान बरसाना, मथुरा। (मो-9927194000)

**धारा-19(1)(ज) के अन्तर्गत**

- १- डा० अनिल कुमार गर्ग, पूर्व संयुक्त निदेशक (प्रसार शिक्षा) आई०वी०आर०आई० इज्जतनगर, ए-1169 राजेन्द्रनगर, बरेली। (मो-9412192617)

डॉ० सुधीर एम० बोबडे  
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 04/2018/ 963 (1)/37-3-2018, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- २- कुलपति, ३०प्र० पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा को उनके पत्र संख्या-1115/वीसी-1/18, दिनांक 26-05-2018 के सन्दर्भ में।
- ३- संबंधित सदस्यगण।
- ४- गार्ड फाइल।

आजा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह  
विशेष सचिव।

- 
- १- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - २- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।